न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 10/2024

प्रार्थी

श्रीमती डालु पुत्री करमाराम जी पत्नी हरजीराम जी, जाति– मीणा, निवासी– पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पकाराम पुत्र होसाराम जी, जाति– मीणा, निवासी–पोसालिया, तहसील– शिवगंज
2. ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये सरंपच, ग्राम पचायत, पोसालिया, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दीपक बोडाना, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री महावीर सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या 01 (एक) पकाराम की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 07 जनवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार डालु पुत्री करमाराम जी पत्नी हरजीराम जी, जाति– मीणा, निवासी– पोसालिया की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी पकाराम पुत्र होसाराम जी मीणा, निवासी– पोसालिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 23–02–2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्याः 01 (पकाराम) की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्याः 01 (पकाराम) की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–02 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीया (निगरानीकार) के विद्वान अधिवक्ता श्री बोडाना ने बहस के दौरान प्रार्थीया के निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गांव पोसालिया में प्रार्थीया के पिता करमाराम पुत्र सौलाजी मीणा का मकान आया हुआ है। प्रार्थीया के पिता करमारामजी का देहान्त को हो चुका है एवं करमारामजी के एक मात्र सन्तान प्रार्थीया स्वयं है। प्रार्थीया के पिता करमाराम जी व अन्य भाईयों के मध्य आपस में भूमि का बंटवाड होने के बाद करमारामजी ने अपने हिस्से आई भूमि पर आवासीय मकान बनाया था। प्रार्थीया का विवाह होने से वह अपने ससुराल में रही और अपने पीहर आती जाती रहती थी। करमारामजी के एक मात्र विधिक वारिसान में प्रार्थीया होने से उक्त मकान की मालिक प्रार्थीया ही है, परन्तु अप्रार्थी पकाराम जो की प्रार्थीया के चाचा का लड़का है ने ग्राम पचांयत, पोसालिया से मेल मिलाप कर प्रार्थीया के मकान का अवैध रुप से पट्टा अपने स्वंय के नाम से बनवा लिया है, जो पट्टा संख्या 29 दिनांक 23–02–2019 का गलत व कुटरचित होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी पकाराम द्वारा प्रार्थीया के कब्जे मालकी के मकान का पट्टा बनाने की जानकारी प्रार्थीया को जून, 2023 में हुई व प्रार्थीया ने इस संबंध में ग्राम पचायत, पोसालिया व जिला कलेक्टर, सिरेही एवं उपखण्ड अधिकारी व विकास

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीया के चचेरे भाई अप्रार्थी पकाराम ने ग्राम पंचायत, पोसालिया में झूठे तथ्य व गलत शपथ पत्र पेश कर पट्टा प्राप्त किया है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी पकाराम पुत्र होसाराम जी मीणा, निवासी– पोसालिया के हक में जारी पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 23–02–2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पकाराम के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी पकाराम के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया के पिता करमाराम पुत्र सोलाजी मीणा का मकान ग्राम पोसालिया में आया हुआ होने का कथन गलत है। प्रार्थीया का विवाह होने से वह अपने ससुराल में रह रही है और अपने पिहर आती जाती रहती है। अप्रार्थी पकाराम द्वारा मेलमिलाप कर प्रार्थीया के मकान का पट्टा बनाने का कथन भी गलत है, जबकि वास्तव में अप्रार्थी पकाराम के हक में अपने पुश्तैनी भूमि पर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा कानूनी तरीके से पट्टा बनाया गया है और नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी पकाराम ने उक्त पट्टे का पंजीयन करवाया है और मौके पर मकान का पक्का निर्माण कार्य कर अपने परिवार सहित निवास कर रहा हैं जिस पर अप्रार्थी के पकाराम के परिवार का कब्जा चला चला आ रहा है, जिसकी जानकारी प्रार्थीया को प्रारम्भ से ही है। प्रार्थीया ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, केवल मनगंढत कथनों के आधार पर अप्रार्थी पकाराम के मकान को हडपने की नियत से यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी पकाराम पुत्र श्री होसाराम मीणा, निवासी– पोसालिया के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2520 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 23–02–2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

प्रकरण में दोनों पक्षों के कथनों से यह तथ्य निर्विवाद रुप से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर आवासीय मकान बना हुआ है, लेकिन इस संबंध में

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... *सिरोही*

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष ने ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीया के पिता करमाराम जी व अन्य भाईयों के आपसी बंटवाड में प्रश्नगत पट्टा संख्या 29 दिनांक 23–2–2019 से संबंधित भूमि प्रार्थीया के पिता करमाराम जी के हिस्से में आई हो और प्रार्थीया के पिता करमाराम जी ने उस पर मकान बनाया हो। जबकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है। यदि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर प्रार्थीया के पिता करमाराम जी के द्वारा मकान बनाया हुआ है तो प्रार्थीया के पिता के नाम से जारी विद्युत बिल की प्रति प्रार्थीया को प्रस्तुत करनी चाहिये थी, लेकिन प्रार्थी पक्ष ने विद्युत बिल की प्रति प्रस्तुत नही की है। प्रार्थी पक्ष ने दिनांक 26–3–2000 की आपसी लिखत पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है, लेकिन उक्त आपसी लिखत पत्र साधारण पृष्ठ पर लिखा हुआ है, जो न तो पंजीकृत है व न ही नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है। उक्त आपसी लिखत पत्र किस भूमि के संबंध लिखा गया है यह भी आपसी लिखत पत्र से स्पष्ट नही हो रहा है। चूंकि प्रकरण में विवाद प्रश्नगत पट्टे की भूमि व सम्पति के स्वामित्व का है एवं सम्पति के स्वामित्व के बिन्दु को तय करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही